

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांक:-एफ 9/सहायता/2022/ 5733

दिनांक:-21/09/2022

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2022 के दौरान बारां जिले में हुई अतिवृष्टि/बाढ़/जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के तत्काल रेस्टोरेशन के क्रम में शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(21)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2022/11188-194 दिनांक 15.09.2022 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 45/2022-23 के अनुसार बजट मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02-बाढ़, चक्रवात आदि, 122-खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनस्थापना, 02-बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता, 01- (बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता, 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता राशि 75% एवं राज्य निधि राशि 25% )के अन्तर्गत निम्नांकित मरम्मत कार्यों के लिए 526.27 लाख की जिला स्तरीय प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी कर, अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत बारां, को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब जारी कर भिजवाएं।

कार्यकारी एजेन्सी- अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां  
तहसील- बारां, (पार्वती मध्यम सिंचाई परियोजना)

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त नहरों/तालाबों की मरम्मत कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
1	Parwati main canal between Km.14.70 to 33.60 on both side banks (37.80 Km.)	22.68
2	Parwati main canal between Km. 35.10 to 45.30 on both side banks (20.40 Km.)	12.24
3	Minors off-taking between Km. 21.45 to 24.66 of Parwati Main Canal on both side banks (41.20 Km.)	24.72
4	Minors off-taking between Km. 29.46 to 31.65 of Parwati Main Canal on both side banks (35.20 Km.)	21.12
5	Minors off-taking between Km. 32.94 to 37.71 of Parwati Main Canal on both side banks (38.24 Km.)	22.94
6	Minors off-taking between Km. 41.61 to 45.30 of Parwati Main Canal on both side banks (23.68 Km.)	14.20
7	Rajawah branch between Km. 3 to 21 on both side banks (36 Km.)	21.60
8	Minors off-taking between Km. 3.84 to 19.50 of Rajawah branch of Parwati Main Canal on both side banks (38.60 Km.)	23.16
<b>Total</b>		<b>162.66</b>
तहसील- बारां, (परवन लिफ्ट मध्यम सिंचाई परियोजना)		
1	RMC of Parwan lift between RD 0 to 5000 m on both side banks (10 Km)	6.00
2	LMC of Parwan lift between RD 0 to 12000m on both side banks (24 Km)	14.40
3	RMC of Parwan lift Minors off taking from RD 0 to 5000m on both side banks (6.2 Km)	3.72
4	LMC of Parwan lift Minors off taking from RD 0 to 12000m on both side banks (24 Km)	14.40
<b>Total</b>		<b>38.52</b>
तहसील- मांगरोल (गणेशगंज लिफ्ट मध्यम सिंचाई परियोजना)		
1	Ganeshganj Lift main canal between Km 0 to 8 on both side banks(16 Km.)	9.60
2	Ganeshganj Lift main canal between Km 10 to 23 on both side banks (26Km.)	15.60
3	Ganeshganj Lift canal minors off taking from Km 0 to 10on both side banks (24km)	14.40
4	Ganeshganj Lift canal minors offtaking fromKm 11 to 23 on both side banks (18km)	10.80
<b>Total</b>		<b>50.40</b>

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त नहरों/तालाबों की मरम्मत कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
<b>तहसील- अन्ता (परवन लिफ्ट मध्यम सिंचाई परियोजना)</b>		
1	LMC of Parwan lift between RD 12000 to 26000m on both side banks (28 Km)	16.80
2	LMC of Parwan lift Minors off taking from RD 12000 to 24000m on both side banks (29 Km)	17.40
3	Distributory no. 1 of Parwan lift between Rd 0 to 8000m on both side banks (16 Km)	9.60
4	Distributory no. 2 of Parwan lift between Rd 0 to 6000m on both side banks (12 Km)	7.20
5	Distributory no. 3 of Parwan lift between Rd 0 to 7000m on both side banks (14 Km)	8.40
<b>Total</b>		<b>59.40</b>
<b>कार्यकारी एजेन्सी-अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय छबडा</b>		
<b>तहसील- छबडा (बैथली मध्यम सिंचाई परियोजना)</b>		
1	Urgent Repair of Main Canal of LMC Chain 0 to 468 both Side bank (28 KM)	16.80
2	Urgetn repair of Disty. No 1 , 2 Ch. 0 to 240 both side bank (14 Km)	8.40
3	Urgent Repair of total 8 Minors (14 Km) both side bank	8.40
4	Urgent Repair of Main Canal of RMC Chain 0 to 536 both Side (32 KM)	19.20
5	Urgent Repair of total 3 Minors of both side bank (9 Km)	5.40
6	Urgent Repair Bhuloon to Bethali Dam service road and damage Puliya(5.5 KM)	3.30
<b>Total</b>		<b>61.50</b>
<b>तहसील- छीपाबडौद (फलिया लघु/उतावली लघु सिंचाई परियोजना)</b>		
1	Urgent repair of Phaliya Main Canal and Minor	1.50
2	Urgent repair of Utawali LMC at Ch 35	1.50
<b>Total</b>		<b>3.00</b>
<b>कार्यकारी एजेन्सी- अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां</b>		
<b>तहसील- किशनगंज</b>		
1	बाढ़ से क्षतिग्रस्त बिलास मध्यम सिंचाई परियोजना की माईनर्स नं. 1 से 5 तक की मरम्मत का कार्य (on both side bank 25.34 Km.)	17.73
2	बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर की चेन 0 से 181 के मध्य मुख्य नहर एवं माईनरों की मरम्मत का कार्य (on both side bank 35.18 Km.)	24.63
3	बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर की चेन 181 से 332 के मध्य मुख्य नहर एवं माईनरों की मरम्मत का कार्य (on both side bank 38.53 Km.)	26.97
4	बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर की चेन 332 से 565 के मध्य मुख्य नहर एवं माईनरों की मरम्मत का कार्य (on both side bank 59.86 Km.)	41.91
5	बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना की बरूनी लिंक नहर की मरम्मत का कार्य (on both side bank 10.97 Km.)	7.68
6	बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना के एप्रोच रोड़ की मरम्मत का कार्य (on both side bank 14.00 Km.)	9.80
7	बाढ़ से क्षतिग्रस्त गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध की मरम्मत का कार्य (on both side bank 9.78 Km.)	6.85
8	बाढ़ से क्षतिग्रस्त उम्मेद सागर बांध की मरम्मत का कार्य(on both side bank 8.88 Km.)	6.22

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त नहरों/तालाबों की मरम्मत कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
9	बाढ़ से क्षतिग्रस्त इकलेरा सागर मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य	1.50
10	बाढ़ से क्षतिग्रस्त कालीसोत तालाब की बांध एवं नहरों की चेन 10 से 165 तक एवं मुख्य नहर एवं माईनर की मरम्मत का कार्य (5.80 Km.)	1.50
11	बाढ़ से क्षतिग्रस्त छत्रपुरा तालाब की बांध एवं नहरों की चेन 14 से 80 तक मुख्य नहर एवं माईनर की मरम्मत का कार्य (2.40 Km.)	1.50
12	बाढ़ से क्षतिग्रस्त महोदरी तालाब की बांध एवं नहरों की चेन 10 से 90 तक मुख्य नहर एवं माईनर की मरम्मत का कार्य (5.20 Km.)	1.50
13	बाढ़ से क्षतिग्रस्त नाहरगढ़ तालाब की बांध एवं नहरों की चेन 10 से 80 तक मुख्य नहर एवं माईनर की मरम्मत का कार्य (1.50 Km.)	1.50
14	बाढ़ से क्षतिग्रस्त अहमदी तालाब की बांयी मुख्य नहर की चेन 50 से 140 तक मरम्मत का कार्य (2.00 Km.)	1.50
<b>Total</b>		<b>150.79</b>
<b>Grand Total</b>		<b>526.27</b>

उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :-

- कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम/खण्ड द्वितीय छबड़ा/खण्ड तृतीय बारां, होगी। निर्माण कार्यों का निष्पादन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- इस स्वीकृति के तहत प्रारम्भ कार्य 30 दिवस के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा।
- सम्पादित कार्यों की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ, कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल कार्य समाप्ति के एक सप्ताह में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- डिफेक्ट लाईबिलिटी अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यों पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावे।
- उक्त स्वीकृत कार्यों को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावे कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।
- यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित नहरों/तालाबों का उपयोग जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
- कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
- कार्यों का निष्पादन वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।
- एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों एवं नौम्स की पालना की जाना आवश्यक होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- "कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है" इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।



(नरेन्द्र गुप्ता)

जिला कलक्टर, बारां

दिनांक: 21/09/2022

क्रमांक:-एफ 9/सहायता/2022/ 5734-51

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त बारां को उक्त कार्यों की अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने हेतु।
- अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां, खण्ड द्वितीय छबड़ा एवं खण्ड तृतीय किशनगंज।
- उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बारां।
- कोषाधिकारी, बारां।
- प्रभारी अधिकारी, लेखा/केश अनुभाग, जिला कलक्टर, बारां।

  
अति० जिला कलक्टर  
बारां